समय–सीमा / शीघ्र

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड–492002

क्रमांक एफ 11–1 / 2013 / आरटीआई / सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,
प्रति,

समस्त समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स (छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने बाबत् ।

–––000–––

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की – **कंडिका–5.04**– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पदनामित लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों की पूर्ण सूची सूचना पटल पर प्रकाशित कराई जाये, ताकि जन सामान्य की सुविधा हेतु सुलभ हो सके ।

2/– **कंडिका–505**–आपके विभाग / कार्यालय एवं अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों द्वारा धारा–4 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वमेव प्रकटन एवं विभागीय मेन्युअल अद्यतन किया जावे तथा उसकी सूचना इस विभाग को भी प्रतिवर्ष उपलब्ध करावें ।

3/– अतः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कियान्वयन प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए आपके विभाग के अधीनस्थ लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी कर कंडिका–4 का पालन सुनिश्चित किया जाये तथा कंडिका–5 के संबंध में प्रतिवर्ष इस विभाग को प्रमाण पत्र भेजने का कष्ट करें।

(कमर अली)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 11–1 / 2013 / आरटीआई / सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,
प्रतिलिपिः–

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार, रोड़ शंकर नगर, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 336 / स्था. / छगरासूआ / 13, दिनांक 28.2. 2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग